न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई
(पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा)सं0––120/2018
प्रविष्टि दिनांक ––4.6.2018

उनवान

1. रामकल्याण पुत्र रूपनारायण जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक
2. केदार पुत्र रूपनारायण जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम –प्रार्थी/आवेदक

1. विजयनारायण पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई, जिला टोंक
2. कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई, जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

उपस्थित–श्री हीरालाल चौधरी–वकील प्रार्थी/वादीगण – अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
श्री नरेन्द्र कुमार जाट –वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1
पैराकार सरकार –अप्रार्थी/प्रतिवादी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251, 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रदान किये जाने रास्ता

निर्णय

दिनांक–3/3/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 534, 535, 536, 532 गै.मु. चाह कुल किता –4 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सिरोही मे दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए शीट मे रास्ता खसरा नंबर 530 में बना हुआ है जो खसरा नंबर 525 तक जाता है, से होकर तथा इसके बाद खसरा नंबर 531 व 529 दोनो के मध्य की मेड से होकर प्रार्थीगण अपने कुए खसरा नंबर 532 गै.मु. चाह पर आते जाते है तथा कुए के बाद अपनी भूमि खसरा नंबर 534, 535, 536 पर आते जाते है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर खसरा नंबर 530 गै.मु, रास्ता व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 525, 529, 531, 533 मे से होकर जाते आते है। परन्तु कुछ दिन पहले अप्रार्थीगण अपनी भूमि के रास्ते मे रूकावट पैदा करने लगे है। अतः प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 526 मे से खसरा नंबर 530 तक व खसरा नंबर 530 के बाद खसरा नंबर 529, 531 के मध्य की मेड से खसरा नंबर 532 गै.मु. चाह तक 20 फिट चौडा रास्ता व उसके बाद खसरा नंबर 533 से होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 534, 535, 536 तक आने जाने हेतु 20 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे तथा इसी अनुरूप नक्शा शीट मे तरमीम की जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आंत्यातिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 2 गटठा व लम्बाई 45 गटठे है तथा क्षेत्रफल 0.05 बीघा है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर 377339 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है, अप्रार्थीगण अपनी भूमि मे से रास्ता देने मे असहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

प्रतिवादीगण के द्वारा बावजूद तामील जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण पर उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास अपने खेतो पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय के माध्यम से अपनी जोत मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है इस प्रकार पैरोकार सरकार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना अंकित किया है। लेकिन पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य अनुसार प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे अपनी खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतु मार्ग उपलब्ध कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण सं0 424/2015 के रूप मे दर्ज किया जाकर निर्णित किया गया हैं। उक्त प्रकरण के निर्णय अनुसार प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 532 पर अपने आधे हिस्से से आने जाने के लिए मार्ग चाहा है जिसके सटवा ही प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि 534, 53, 36 स्थित है जिसके लिए खसरा नंबर 519, 591/1/1 मे से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण के पास पूर्व मे ही विद्यमान रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रकरण खारिज किया गया। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रकरण मे भी उक्त अधियाचना चाही है मात्र दिशा का फेरबदल किया गया है। इस संबध मे उल्लेखनीय है कि खातेदार को उसकी खातेदारी मे जाने जाने हेतु अन्य खातेदारो की भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। काश्तकार की सुविधा के लिए मार्ग उपलब्ध कराया जाना काश्तकार की सुखाचार का तथ्य है, और काश्तकारो की सुविधा एवं सुख के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए मे प्रावधान किये गये है लेकिन काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 क के अनुसार सशर्त प्रावधान किये गये है। उक्त धारा के तहत नवीन मार्ग की स्वीकृति के संबंध मे आवश्यक तत्व/शर्ते निर्धारित किये गये है:–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के कोवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

(2) अन्य खतेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

उक्त तथ्यो का भली भांति साबित अथवा सिद्ध होने पर ही काश्तकार को अन्य खातेदारो की भूमि मे से मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीगण के पास पूर्व से मार्ग विद्यमान है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व प्रकरण मे अपनी खातेदारी की भूमि के दूसरी दिशा से मार्ग प्रस्तावित किया गया था और प्रस्तुत प्रकरण मे दूसरी दिशा से मार्ग प्रस्तावित कियागया है जबकि पक्षकार प्रस्तावित अन्य खातेदारो के खसरा नंबर समान ही है। चूंकि पूर्व प्रकरण मे पक्षकार व विवादित भूमि समान है और उनके संबंध मे पूर्व मे ही न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय किया जा चुका है। समान भूमि, समान पक्षकार, समान तथ्यो के आधार पर पुनः वाद चलने योग्य नही है। यदि प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय से संतुष्ट नही है तो उसके लिए उच्च न्यायालय मे निर्धारित न्यायिक प्रकिया के तहत अपील का प्रावधान है। पुनः समान तथ्य पर प्रस्तुत वाद विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र उक्त अधिनियम की धारा 251 ए के बिन्दु सं0 2 के अनुसार वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नही करता हे साथ ही एवं पूर्व मे प्रस्तुत वाद मे समान पक्षकार, समान विवादित भूमि, समान तथ्यो तथ्यो पर निर्णय किया जा चुका है। पुनः इन्ही तथ्यो पर वाद सुना जाना न्याायालय के समय की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ भी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विधि सम्मत नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की शर्तो को पूरा नही करने के कारण एवं विधि सम्मत नही होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2/3/25............ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

Scanned with CamScanner